

यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "उज्ज्वल", महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून - 248006 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Ujjwal", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)

दूरभाष / Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स / Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या M-2999 / यूजेवीएनलि / 05 / उमप्र(मा0सं0) / अनु-1 /

दिनांक 29/10/2024

विषय:-यूजेवीएन लि0 के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित किये जा चुके हैं, को मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2024 से लागू करें ।

समस्त महाप्रबन्धक,

समस्त उपमहाप्रबन्धक,

यूजेवीएन लि0 ।

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक-250642/XXVII(10)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के अनुपालन में एवं यूजेवीएन लि0, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-9042-यूजेवीएनलि/05/कार्मिक/अनु0-111/7-ए, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या 604 दिनांक 15.03.2022 के अनुक्रम में दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में यूजेवीएनलि0 के अन्तर्गत कार्यरत समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2024 से निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई 2024	मूल वेतन का 53 प्रतिशत

- 1- इस आदेश में स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम-9(2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/ भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 2- ई0पी0एफ0 से आच्छादित कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक अवशेष (एरियर) धनराशि का 12 प्रतिशत ई0पी0एफ0 अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात शेष धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा।
- 3- इस आदेश द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक अवशेष (एरियर) का नगद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01.10.2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा।
- 4- अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य मंहगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा जिस प्रकार कार्यावधि (ड्यूटी पीरिएड) के लिए माना जाता है।

Ashutosh
29/10/24


कमश:.....2/-

- 5- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि की गणनाक्रम में निकटतम एक रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक का पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।
- 6- उक्त आदेशानुसार स्वीकृत बढ़े हुये मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उपमुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष,यूजेवीएन लि0,देहरादून ।
- 2- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक,यूजेवीएन लि0,देहरादून ।
- 3- निदेशक (परियोजनाएँ) / (वित्त) / (परिचालन) / (मा0सं0), यूजेवीएन लि0,देहरादून ।
- 4- अधिशासी निदेशक(जानपद) / (वित्त) / (वि0 / यांत्रिक) / (मा0सं0), यूजेवीएन लि0,देहरादून ।
- 5- उपमहाप्रबन्धक (आई0टी0),यूजेवीएन लि0,देहरादून को निगम की वैबसाईट शीर्षक "NIGAM's ORDERS-HR" पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 6- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी, यूजेवीएन लि0,देहरादून ।



(आशिष कुमार जेन)

अधिशासी निदेशक (मा0सं0)